तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर जो इस हु... में जा...
18.6.19	पत्रावली आज पेश हुई पी.ओ साहब आज दौरे पर पधारे है अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25.6.19 को पेश की जावे	
25.6.19	पत्रावली आज पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित तहसीलदार बेगूं द्वारा पत्रावली में फर्द बंटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई पत्रावली आइन्दा वास्ते बहस बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 16.7.19 को पेश हो	
16.7.19 प्रस्तावित बटवारे से सहमत है Ashish (वादी अधि०)	पत्रावली आज पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी उपस्थित नहीं आए। वादी अधिवक्ता ने बताया की वह पत्रावली मे प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव से सहमत है तथा मुताबिक फर्द बटवारा द्वारा अंतिम डिग्री किये जाने का निवेदन किया। अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 53 RT Act का स्वीकार किया जाता है। मुताबिक बटवारा प्रस्ताव वापस अंतिम डिग्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं अंतिम डिग्री पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। 16/7/18	

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 43/2018

रामचन्द्र पिता नारायण जाति धाकड निवासी मडावदा तहसील बेगूँ

.....वादी

बनाम

1. भंवरलाल पिता नारायण जाति धाकड निवासी मडावदा तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़
2. भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चित्तौडगढ
3. शाखा प्रबंधक महोदय आई.सी.आई.सी.आई. बेंक शाखा बेगूँ तहसील बेगूँ
4. कलक्टर महोदय चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित : श्री एम.डी.शर्मा
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक 23.07.2019

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद वादी का अधिवक्ता श्री एम.डी.शर्मा द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग की कृषि आराजी यात मोजा मडावदा पटवार हल्का आंवलहेडा तहसील बेगूँ में स्थित हैं जिसकी तफसील निम्न प्रकार है–

कि मोजा मडावदा पटवार हल्का आंवलहैडा तहसील बेगूँ में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की कृषि आराजीयात स्थित है उक्त सम्पुर्ण कृषि आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिसमे वादी का आराजी संख्या 1012 व 1013 में 6/11 हक हिस्सा व आराजी संख्या 1196/144 में सम्पुर्ण हक हिस्सा वादी का निहित हैं जिसकी तफसील निम्न प्रकार हैं–

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हे0
237	1012	0.0700
	1013	0.1500
	1196/144	0.1100
योग	किता 3	1.3300 हे0

वादपत्र की चरण संख्या एक में वर्णित कृ षि आराजीयात में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 अपने अपने हक व हिस्से में मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम संयुक्त खातेदारी से दर्ज रेकार्ड होने के कारण आये दिन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

के मध्य सीमा को लेकर एवं घास आदी काटते समय एव हकाई जुताई करते समय व लगान जमा कराते समय विवाद होता रहता हैं। उक्त आराजी का मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य कानुन विभाजन नहीं होने से मनमुटाव होकर विवाद होता रहता है। जिसके स्थाई समाधान हेतु मुझ वादी ने प्रतिवादी संख्या को तहसील बेगूँ 161ा में चलकर आपसवी सहमती से आराजी का हक हिस्से अनुसार बटवारा करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया और कहा कि तुम्हे आवश्यकता हो तो तुम स्वयं तहसील में दावा करके खाता अलग करवा लेा इसलिए वादी को यह वाद वास्ते बंटवारा आराजी हेतु प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई बिनाय दावा दिनांक 26/04/2018 से आपसी सहमति से वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को तहसील बेगूँ में चलकर उक्त आराजी का बंटवारा करवाने एवं खाता अलग अलग हिस्से अनुसार व कब्जे अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी का बटवारा करा अलग अलग खाते में दर्ज करवाने बाबत कहा तो प्रतिवादी गण ने मना कर दिया तभी से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान हैं। वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित हक व हिस्सानुसार मुझ वदी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी के बाधार पर विभजन किया जाना न्यायोचित हैं।

न्यायालय श्रीमान से वादी निम्न अनुतोष की पार्थना करते है कि –

वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित अराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की होकर वादी का खाता संख्या 237 में आरजी संख्या 1012 व 1013 में 6/11 हक हिस्सा एवं आराजी संख्या 1196/144 में सम्पुर्ण हक हिस्सा वादी का निहित होकर इसी हक व हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादपत्रकी कलम संख्या 1 में वर्णित आरजी का मुझ वादील व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य मौके व कब्जे अनुसार अथवा अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का हक हिस्से अनुसार विभाजन किया जाकर रेवेन्यु रेकार्ड में अलग अलग खाते से दर्ज की जाने का आदेश प्रदान फरमावे ।

वाद व्यय एवं वकील मेनताना भी वादी को प्रतिवादीगण से प्रदान कराया जावें

अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी को प्रदान कराया जावे।

वादपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेवन्यु बोर्ड के निर्देशो की पालना में पत्रावली को राजस्व लोक अदालत शिविर स्थल आंवलहेडा पर सुनवायी हेतु रखायी गयी। लोक अदालत शिविर में पक्षकारान को तलब किया गया । पक्षकारान उपस्थित आए तथा प्रतिवादी संख्या 1 कि ओर जवाब वाद प्रस्तुत किया जिसमें उन्होने बताया कि ग्राम मडावदा की आराजी संख्या 1012

Scanned by CamScanner

एंव 1013 में प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा दक्षिणी भाग पर होकर कब्जे काश्त में है एवं वाद का हिस्सा उत्तरी भाग में होकर कब्जे काश्त में हैं। वादी स्वयं ने कब्जे के अनुसार हिस्सा विभाजन चाहा है जो यदि मौके पर काबिज अनुसार हिस्सा विभाजन किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नही हैं। अतः प्रार्थना है कि मौके पर काबिज अनुसार यानि उत्तरी हिस्सा वादी के एवं दक्षिण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हिस्सा विभाजन किया जाने में प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति हैं। पत्रावली में जवाब वाद प्रस्तुत होने एवं दोनो पक्षो की सुनवाई करते हुये वादपत्र प्राथमिक डिक्री किया गया जो निम्नानुसार है :

" अतः वादपत्र अन्तर्गतधारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर दावा आपसी सहमति से प्राथमिक किड्री किया जाकर तहसीलदार बेगूँ को आदेश दिये जाते है कि वाद व प्रतिवादी संख्या 1 की सयुक्त कब्जे काश्त की कृषि आराजियात खाता संख्या 237 की आराजी संख्या 1012,1013,1196/144 किता 3 कुल रकबा 1.3300 हे0 भूमि में से आराजी संख्या 1012 व 1013 में से वादी का 6/11 हक हिस्सा अनुसार एवं जनसंख्या 1196/144 में सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी के मोके पर काबिजानुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी के आधार पर विभाजित की जाकर फर्द बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस दो प्रति में पालनार्थ पेश किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1000/– रूपये शुल्क पर मोका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। प्राथमिक डिक्री पृथक से जारी होकर शामिल पत्रावली की जावे । तहसीलदार बेगूँ को प्रति पालनार्थ दी जावे।"

तहसीलदार बेगूँ को प्राथमिक डिक्री की प्रति पालनार्थ भेजी गयीं। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार बेगूँ के पत्रांक 573 दिनांक 14/06/2019 फर्द बटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। वादी अधिवक्ता की फर्द बटवारा रिपोर्ट पर बहस सुनी गयी। प्रस्तावित बटवारा रिपार्ट पर वादी अधिवक्ता ने सहमति जताई तथा वाद पत्र को फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

उक्त फर्द बटवारा रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया । फर्द बटवारा रिपोर्ट पत्रावली में जारी आदेष व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12/06/2018 के अनुसार होने एवं वादी अधिवक्ता द्वारा सहमति व्यक्त करने से वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादपत्र वादी का अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0 एक्ट का स्वीकार किया जाकर मुताबिक फर्द बटवारा अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य निम्नानुसार हिस्सा पृथक पृथक कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है :

1. रामचन्द्र पिता नारायण धाकड निवासी मडावदा के खाते में

आराजी सं0	रकबा हे0	लगान
1012 मे से	0.0260	0.11
1013 में से	0.0340	0.15
1013 मे से	0.0400	0.17
1196/144	0.1100	0.75
किता 4	0.2100हे0	1.18

2. भवंलाल पिता नारयण धाकड निवासी मडावदा के खाते में रहन आई.सी.आई.सी. बैंक शाखा बेगूँ

आराजी सं0	रकबा हे0	लगान
1012 मे से	0.0440	0.19
1013 मे से	0.0360	0.16
किता 2	0.0800हे0	0.35

3. रामचन्द्र भंवरलाल पिता नारयण धाकड निवसी मडावदा रहन आई.सी.आई.सी. बैंक शाखा बेगूँ हिस्सा भंवरलाल का

आराजी सं0	रकबा हे0	लगान
1013 मे से	0.0400	0.17
1	0.0400हे0	0.17

उपर्युक्त आराजीयात ग्रामीण सडक पर स्थित होने से रास्ते संबंधी कोई समस्या नही होना वादी एवं प्रतिवादी ने अवगत कराया है।

उक्तानुसार आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16/07/2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

16/7/19

(रमेश चंद्र पुनाडिया)
सहायक कलक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
दावा संख्या : 43/2018

रामचन्द्र पिता नारायण जाति धाकड निवासी मडावदा तहसील बेगूँ

.....वादी

बनाम

1. भंवरलाल पिता नारायण जाति धाकड निवासी मडावदा तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़
2. भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चित्तौडगढ
3. शाखा प्रबंधक महोदय आई.सी.आई.सी.आई. बेंक शाखा बेगूँ तहसील बेगूँ
4. कलक्टर महोदय चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ

.....प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री एम.डी.शर्मा की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण की ओर से .....की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88–53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 16.07.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिकी निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वादपत्र वादी का अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0 एक्ट का स्वीकार किया जाकर मुताबिक फर्द बटवारा अनुसार अंतिम डिकी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य निम्नानुसार हिस्सा पृथक पृथक कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है :

1. रामचन्द्र पिता नारायण धाकड निवासी मडावदा के खाते में

आराजी सं0	रकबा हे0	लगान
1012 मे से	0.0260	0.11
1013 में से	0.0340	0.15
1013 मे से	0.0400	0.17
1196/144	0.1100	0.75
किता 4	0.2100हे0	1.18

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

2. भवंलाल पिता नारयण धाकड निवासी मडावदा के खाते में रहन आई.सी.आई.सी. बेंक शाखा बेगूँ

आराजी सं0	रकबा हे0	लगान
1012 मे से	0.0440	0.19
1013 मे से	0.0360	0.16
किता 2	0.0800हे0	0.35

3. रामचन्द्र भंवरलाल पिता नारयण धाकड निवसी मडावदा रहन आई.सी.आई.सी. बेंक शाखा बेगूँ हिस्सा भंवरलाल का

आराजी सं0	रकबा हे0	लगान
1013 मे से	0.0400	0.17
1	0.0400हे0	0.17

उपर्युक्त आराजीयात ग्रामीण सडक पर सिथत होने से रास्ते संबंधी कोई समस्या नही होना वादी एवं प्रतिवादीगण ने अवगत कराया है।

उक्तानुसार आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें ।

अंतिम डिकी आज दिनांक 16.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई ।

16/7/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को डिकी की पालना हेतु दी जाती है।

Scanned by CamScanner